प्रारूप-9
नियम **8(2)** देखिये

संख्या 00974/2022-2023

दिनांक 15/11/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/MAB/13247/2022-2023

पत्रावली संख्या:J-24651 दिनांक:2012-2013

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **एन0 आर0 पालीवाल पब्लिक स्कूल, गाँधी नगर महोबा जिला महोबा उ0प्र0, महोबा, 210427** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 433/2012-2013 दिनांक-14/09/2012 को दिनांक-14/09/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(ANAND KUMAR SINGH)
5AC5EC0AA86E07DBC2EA16C908B64995A751E2ED
Date: 15/11/2022 2:25:31 PM, Location: Jhansi .

जारी करने का दिनांक-15/11/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44AA 535638

यह अनुबन्ध स्टाम्प पेपर एन० आर० पालीवाल पब्लिक स्कूल

जिला महोबा फाइल नं० 1.24651

संशो० नियमावली के साथ संलग्न है।

सत्य-प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
झांसी

14/02/2025

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44AA 535639

एन० आर० पन्नीलाल पब्लिक स्कूल
महोबा फाइल नं० J. 24631
प्रबन्ध समिति नवीनीकरण 2024-25

उत्तर प्रदेश झाँसी

सत्य-प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र०, झांसी
14/02/2025

एन0 आर0 पालीवाल पब्लिक स्कूल, गांधी नगर महोबा

प्रबंधकारिणी समिति की सूची वर्ष - 2024.2025

क्रमांक नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1. स्वेता पालीवाल	श्री प्रवीण पालीवाल	पालीवाल मार्केट गांधी नगर महोबा	अध्यक्ष	गृहणी
2. अन्जू पालीवाल	श्री देवेश पालीवाल	पालीवाल मार्केट गांधी नगर महोबा	उपाध्यक्ष	गृहणी
3. देवेश पालीवाल	श्री पूरनचन्द्र पालीवाल	गांधी नगर महोबा जिला महोबा	प्रबंधक	व्यापार
4. हितेन्द्र अवस्थी	श्री ज्ञानस्वरूप अवस्थी	दलैतनपुरा महोबा जिला महोबा	उपप्रबंधक	व्यापार
5. प्रवीण पालीवाल	श्री पूरनचन्द्र पालीवाल	गांधी नगर महोबा जिला महोबा	कोषाध्यक्ष	अधिवक्ता
6. डॉ0 विजय मिश्रा	श्री प्रयागदास मिश्रा	गांधी नगर महोबा	आय व्यय निरीक्षक	चिकित्सक
7. प्रभातकुमार तिवारी	श्री मुरारीलाल तिवारी	परमानन्द चौक महोबा	सदस्य	वकालत
8. रतन पालीवाल	श्री राजीव पालीवाल	नाहर कालोनी बरेली रायसेन म0प्र0	सदस्य	गृहणी
9. ज्ञान पालीवाल	श्री सुनील पालीवाल	एफ- 62 मैजर शैतान सिंह कालोनी शास्त्री नगर जयपुर राजस्थान	सदस्य	ग्रहणी
10. मनोज गजया	श्री संतोष गजया	गांधी नगर महोबा	सदस्य	व्यापार
11. सोमेन्द्र अवस्थी	श्री राजेन्द्र अवस्थी	गांधी नगर महोबा	सदस्य	व्यापार

1. श्वेता पालीवाल (अध्यक्ष) Shweta

2. देवेश पालीवाल (प्रबंधक)

3. प्रवीण पालीवाल (कोषाध्यक्ष) Paliwal

4. रतन पालीवाल (सदस्य) रतन पालीवाल

5. ज्ञान पालीवाल (सदस्य)

सत्य-प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0प्र0 झांसी
14/02/2025

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : एन0 आर0 पालीवाल पब्लिक स्कूल
2. संस्था0 का पूरा पता : गांधी नगर महोबा, जिला महोबा (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश रहेगा
4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार ही होंगे
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

कोई भी वयस्क व्यक्ति संस्था द्वारा अथवा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने पर संस्था का सदस्य बन सकेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सदस्यता हेतु प्रवन्धकारिणी समिति द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया हो। कोई भी व्यक्ति सदस्य बनने के 6 माह बाद ही मतदान में भाग लेने का अधिकारी होगा ।

सदस्यों के वर्ग निम्नलिखित होंगे:

संरक्षक सदस्यः

जो व्यक्ति इस संस्था को एक मुश्त एक बार मुवलिग 1100/-रूपया अथवा इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति संस्था को दान स्वरूप देगा वह इस संस्था का संरक्षक सदस्य कहलायेगा ।

आजीवन सदस्यः

जो व्यक्ति इस संस्था को एक मुश्त एक बार मुवलिग 2000/-रूपया अथवा इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति संस्था को दान स्वरूप देगा वह इस संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा ।

सामान्य सदस्यः

जो व्यक्ति संस्था को प्रतिवर्ष 501/-रूपया अथवा इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा ।

द. विशिष्ठ सदस्यः

जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अथवा सामाजिक क्षेत्र में विशेष स्थान रखते हों जिन्हें संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति की सहमति प्राप्त कर नामित करेगी वह व्यक्ति संस्था के विशिष्ट सदस्य होंगे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति मतदान में भाग लेने के अधिकारी न होंगे तथा न ही सदस्यता शुल्क के रूप में कोई धनराशि ही अदा करेंगे ।

6. सदस्यता की समाप्तिः

संस्था की सदस्यता की समाप्ति निम्नकारणों में से किसी एक कारण के होने पर की जा सकेगी।

1. किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाने पर
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर
3. सदस्यता शुल्क अदा न करने पर
4. प्रबन्धसमिति को अपना त्याग पत्र देने पर
5. न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक अपराध में दण्डित किये जाने पर
6. लगातार विना सूचना के तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर
7. संस्था के नियमों के विरूद्ध कार्य करने पर

7. संस्था के अंग :

अ. साधारण सभा, ब. प्रबन्धकारिणी समिति,

8. साधारण सभाः

अ. गठनः साधारण सभा का गठन समस्त प्रकार के सदस्यों को मिलाकर होगा।

ब. बैठकः साधारण सभा की वर्ष में दो बैठक अनिवार्य होगी, विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सूचना देकर कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

1. Shweta 2. [signature] प्रतिलिपि

4. रतन पालीवाल 5. Gyan

प्रधान सहायक
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0प्र0, झांसी
14/02/2025

स. सूचना अवधिः साधारण सभा की वार्षिक बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना दो दिन पूर्व दी जाना आवश्यक है ।

द. गणपूर्तिः साधारण सभा की बैठकों का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा परन्तु स्थगित बैठकों के लिए कोरम का बन्धन नही होगा बशर्ते एजेण्डा न बदला जाये ।

य. विशेष वार्षिक अधिवेशनः

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा, जिसकी तिथि व समय प्रबन्धकारिणी समिति ही निश्चित करेगी।

र. साधारण सभा के कर्तव्य/अधिकारः

1. साधारण सभा अपने प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन करेगी।
2. संस्था की नीति निर्धारण करना, नियमों/विनियामों में संशोधन करना ।
3. प्रबन्धकारिणी समिति में हुऐ रिक्त स्थान की पूर्ति करना ।
4. वार्षिक आय एवं व्यय का हिसाब (बजट) का अनुमोदन करना ।
5. कार्य विशेष के लिए समितियों का गठन करना तथा अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करना।
6. भ्रष्ट सदस्यों को संस्था से निकालने का अधिकार साधारण सभा को होगा ।

9. प्रबन्धकारिणी समितिः

अ. गठनः प्रबन्धसमिति का गठन साधारण सभा के सभी सदस्यों द्वारा होगा व पद स्मृति पत्र के अनुसार ही होंगे। संख्या आवश्यकातनुसार घटाई बढ़ायी जा सकेगी।

ब. बैठक (सामान्य/विशेष) प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक वर्ष में दो बार आवश्यक हुआ करेगी व आकस्मिक बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

स. सूचना अवधिः प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना दस दिन पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना दो दिन पूर्व दी जाना आवश्यक है, सभी सूचना लिखित दी जायेगी।

द. गणपूर्तिः प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक का कोरम कुल संख्या 2/3 बहुमत से होगा, स्थगित बैठकों के लिए कोरम की बाध्यता न होगी बशर्ते एजेण्डा न बदला जाये।

य. रिक्त स्थान की पूर्ति आदिः

1. प्रबन्धकारिणी समिति में सदस्यों के आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति शेष अवधि के लिए प्रबन्धकारिणी समिति साधारण सभा के सदस्यों से चयन/नामित कर करेगी ।

र. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार/कर्तव्यः

1. संस्था के संचालन एवं साधारण सभा के प्रस्ताव का पालन करना और योजनायें बनाना।
2. संस्था की उन्नति हेतु नियमों/विनियमों को बनाना व साधारण सभा से उसकी पुष्टि करना।
3. **विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।**
4. विद्यालय के प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
5. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों, में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
6. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान मांग नही की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का संबद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्र एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उन परीक्षा परिषदों से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगी।

सत्य-प्रतिलिपि

1 Shweta   2 [signature]   3. [signature]

प्रधान सहायक
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0प्र0, झांसी

4. रतन पालीवाल   14/02/2025

11.संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।

12.कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

13.राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे, संस्था उनका पालन करेगी।

14.विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

15.उक्त शर्तो में कबना शासना के पूर्वानुमति के कोई संशोधन/परिवर्तन/परिबर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उपप्रबंधकः

1. प्रबंधक की अनुपस्थिति में उनके कार्यो में सहयोग करना व प्रबंधक के द्वारा वताये गये कार्यो में पूर्ण सहयोग देना ।

कोषाध्यक्षः

1. आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. दान, अनुदान चन्दा प्राप्त करना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना।

आय व्यय निरीक्षकः

संस्था के सम्पूर्ण आय-व्यय को आडिट करना व अपनी आडिट रिपोर्ट को साधारण सभा में अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना व आडिट प्रपत्रों को सुरक्षित रखना व संस्था के विकास हेतु योगदान देना।

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रकियाः

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन साधारण सभा के 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

12. संस्था का कोषः (लेखा व्यवस्था):

1. संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीकृत/मान्यता प्राप्त बैंक अथवा पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, खाते का संचालन प्रबंधक व कोषाध्यक्ष दोनों के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

13. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :

1. संस्था के आय व्यय का लेखापरीक्षण (आडिट) प्रतिवर्ष किया जायेगा जो संस्था में नियुक्त आंकेक्षक या किसी चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा कराया जायेगा जिसकी रिपोर्ट वार्षिक अधिवेशन में साधारण सभा में प्रस्तुत की जायेगी।

14. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः

1. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध संचालित अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबंधक को अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा।

15. संस्था के अभिलेखः

1. सदस्यता रजिस्टर, 2. कार्यवाही रजिस्टर, 3. एजेण्डा (सूचना) रजिस्टर, 4. स्टाक रजिस्टर, 5. कैश बुक, 6. रसीद बुक आदि होंगे व आवश्यकतानुसार बनाये भी जा सकेंगे।

16. संस्था का विघटनः

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अनुसार ही होगी।

(सत्यप्रतिलिपि)

दिनांकः

सत्य-प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिटस झांसी

उत्तर प्रदेश झांसी

1. Shweta
2. [illegible]
3. [illegible]
4. रतनपालीवाल

14/02/2025

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : एम० आर० पालीवाल पब्लिक स्कूल
2. संस्था का पूरा पता : गाँधीनगर महोबा, जिला महोबा (उ०प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश रहेगा
4. संस्था के उद्देश्य : निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

1. जनहित में लोगो को सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एव मानसिक व विकास करना जिससे राष्ट्र में सुयोग्य नागरिकों का विकास हो सके।

2. बालक व बालिकाओं के विकास हेतु समय समय पर प्रतियोताएं आयोजित करना तदर्थ प्रोत्साहित करना व उनके शैक्षिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर उनका संचालन करना।

2. जाति धर्म और भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष भावना व वैमनष्यता की भावना को दूर कर उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना ।

3. पिछड़े जाति व अनुसूचित जातियों के बालक व बालिकाओं को शासन द्वारा दी जाने वाली सहायताओं से अवगत कराकर उन्हें सहायता प्राप्त कराने का प्रयास करना ।

4. बालक, बालिकाओं के लिये पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, व्यायामशाला व खेलकूद आदि की समुचित व्यवस्था करने का प्रयास करना।

5. गरीब अनुसूचित जातियों के बालिकाओं, महिलाओं के तकनीकी प्रशिक्षण हेतु सिलाई, कढ़ाई बुनाई, कताई, पेटिंग प्रौढ़, शिक्षा केन्द्रों के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें संचालित करने का प्रयास करना जिससे महिलाऐं आत्म निर्भर हो सके ।

6. दैवीय आपदाओं के समय पीड़ित जनता के मध्य राहत कार्य करना जैसे युद्ध, महामारी, दुर्घटना, बाढ़, सूखा आदि इसके लिये पीड़ित जनता की सहायता विभिन्न प्रकार के रचनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यकमो के आयोजन के द्वारा उन्हे मुफ्त भोजन, बस्त्र एवं दवा आदि की मदद पहुंचाने का कार्य करेगी ।

7. समाज के निर्धन, निराश्रित, पिछड़े अनु0 जाति, जन जाति एवं विकलांग लोगों के सामाजिक, शैक्षिक विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर संचालित करना तथा उन्हे आत्म निर्भर बनाना ।

8. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यकम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, जागरूकता शिविर आदि का आयोजन करना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
झाँसी
19-9-12